प्रकरण संख्या 11/2021 मोगजी बनाम भूराराम व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.03.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की खाता संख्या 464 नया 385 पुराना के कुल खेत 42 रकबा 5.52 हैक्टर भूमि ग्राम खोडन, तहसील गढ़ी में स्थित है, जिसमें प्रतिवादीगण का कोई हक अधिकार नहीं होते हुए भी वादीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं तथा अनाधिकृत प्रवेश करने पर उतारू हैं। अतः उक्त खाते के खसरा नंबर 4946 रकबा 0.04 हैक्टर एवं खसरा नंबर 4943 रकबा 0.18 हैक्ब्र में प्रतिवादीगण को अनाधिकृत प्रवेश करने से रोकने हेतु जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर उसके साथ काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियां कायम की गयी तथा तनकीवार विवेचन करते हुए दिनांक 30.03.2021 को वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा इस न्यायालय में अपील दिनांक 02.09.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री तस्लीम अहमद एवं श्री जितेन्द्र कुमार भट्ट उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश द्विवेदी उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय कोविड–19 के समय किया गया था, जिस कारण अपीलान्ट समय पर उपस्थित नहीं हो सके एवं अपने अधिवक्ता से	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:05:59 IST
Reason: SelfAttested

भी समय पर सम्पर्क नहीं कर सके। अतः धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट ने अपील मीमों में अंकित किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आराजी नंबर 4946 का पुराना नंबर 1684 रकबा 6 बिस्वा था, जिसमें से 1 बिस्वा अमर पाटीदार के नाम था। उक्त भूमि के तीन सर्वे नंबर बने, जिसमें से सर्वे 2737 अपीलान्ट के नाम, सर्वे नंबर 2684 सड़क व सर्वे नंबर 3803 अमर पाटीदार का है। दौराने सेटलमेन्ट आराजी नंबर 4946 वादी के नाम दर्ज कर दिया गया, जबकि आराजी नंबर 4943 वादी की है तथा आराजी नंबर 4946 प्रतिवादी की होकर दोनों के बीच दीवार बनी हुई है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया एवं अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 6 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि विवादित भूमि पूर्व में उनके पिता के नाम पर दर्ज थी, जो प्रदर्श 7 से स्पष्ट है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 6 ने अपने काउण्टर क्लेम में सर्वे नंबर 1684 के तीन नंबर 2737, 2684 व 3803 बनना बताते हुए सर्वे 2737 अपीलान्ट के नाम, सर्वे नंबर 2684 सड़क व सर्वे नंबर 3803 अमर पाटीदार के नाम दर्ज होने का कथन किया है तथा 2737 का वर्तमान नंबर 4946 है, जबकि राजस्व रेकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:05:59 IST
Reason: SelfAttested

अनुसार आराजी नंबर 2737 वादीगण के पूर्वाधिकारी के खातेदारी में दर्ज है। अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 6 यह साबित कराने में असफल रहे हैं कि आराजी नंबर 2737 उनके पूर्वजों के खातेदारी में दर्ज थी। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा कहां त्रुटि की गयी, यह साबित कराने में अपीलान्ट असमर्थ रहा है। अपीलान्ट द्वारा न तो इस न्यायालय में एवं न ही अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिससे उनके कथनों को बल मिलता हो। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवार विवेचन करते हुए अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा वादीगण के खातेदारी भूमि में अपने कब्जे को कानूनी रूप से वैद्य सिद्ध नहीं कर पाने के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अनुसार प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 59/2010 निर्णय एवं डिक्री 30.03.2021 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 27.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:05:59 IST
Reason: SelfAttested